

राजस्थान सरकार  
आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक : प. 18(9)आयु./2013 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 31 MAY 2022

-:संशोधन आदेश:-

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 18(9)आयु./2013 जयपुर दिनांक 22.04.2022 के द्वारा 33 योग एवं प्राकृतिक चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति एवं पदस्थापन के आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में उक्त नियुक्तियों माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर पीठ में विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट संख्या 10764/2021 के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रखने के निर्देश दिये गये हैं।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में निर्देशानुसार लेख है कि उक्त नियुक्तियों माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर पीठ में विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट संख्या 10764/2021 के साथ माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन रिट संख्या 2679/2022 के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन भी रहेंगी। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,

(आर.एन.शर्मा)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय आयुष विभाग
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुष विभाग, जयपुर
5. निर्देशक आयुर्वेद विभाग अजमेर
6. रक्षित पत्रावली

सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक प01/प्रति-1/चिकि./योग चिकि. नियुक्ति/2017/11462

दिनांक: 8/6/2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग राजस्थान-जयपुर
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निर्देशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
4. मुख्यलेखाधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
5. उप विधि परामर्शी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
6. समस्त अतिरिक्त निर्देशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान
7. समस्त उप निर्देशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. संबंधित योग चिकित्साधिकारी को विभाग की वेबसाईट <http://www.ayurved.rajasthan.gov.in> के माध्यम से सूचनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. आनन्द कुमार शर्मा)